उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-131/2021/3160/26-3-2021
लखनऊ दिनांकः 16 नवम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-273/26-3-2020, दिनांक 15.07.2020 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पीआईएल संख्या-1859/2020 नायक जनसेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में दिनांक 13.08.2021 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-110/2021/251z5/26-3-2021, दिनांक 24.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के अनुरूप जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24.09.2021 के प्रस्तर-4 में ''गोंड जनजाति के पर्याय के रूप में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड'' के स्थान पर त्रुटिवश ''नायक व ओझा समुदाय'' अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में अंकित ''नायक व ओझा समुदाय'' के स्थान पर ''गोंड जनजाति के पर्याय के रूप में धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड'' पढ़ा जाए।

3- प्रश्नगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4- उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-131 /2021/ 3160(1)/26-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, आयुक्त व सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- मण्डलायुक्त, बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र।
4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यक

संख्या– 110 /2021/2515/26–3–2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर,
देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,
गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2021

विषयः **शासनादेश दिनांक 15.07.2020 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पीआईएल संख्या–1859/2020 नायक जनसेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में दिनांक 13.08.2021 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–273/26–3–2020 दिनांक 15.07.2020 (संलग्नक–1) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोंड की पर्याय/उपजाति नायक एवं ओझा को उक्त जनपदों में नियमानुसार जाचोंपरान्त अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके प्रस्तर–3 में यह उल्लेख किया गया है कि "**भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश के कतिपय 13 जनपदों यथा महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में गोंड व उसकी पर्याय/उपजाति यथा धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के उक्त कतिपय 13 जनपदों में पाये जाने वाले गोंड व उसकी पर्याय/उपजाति नायक व ओझा नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र है**"।

2– उक्त के शासनादेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पीआईएल संख्या–1859/2020 नायक जन सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में दिनांक 13.08.2021 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश (संलग्नक–2) के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

In view of the aforesaid, the State Government was not required or was having competence to issue order either giving interpretation or substitution of the Notification. The order dated 15th July, 2020 shows reference of the caste and the district as per the Gazette Notification of Government of India but at the end of Para 3 of the impugned order, apart from the caste referred in the middle part of Para 3, further refers to the caste Gond or its synonyms / sub-caste Nayak and Ojha to fall in the category of scheduled tribes. The aforesaid was not permissible. In fact, the Government of U.P. should follow the Gazette Notification issued of the Government of India. In any case, the impugned order was issued to stop fraudulent act of persons in obtaining caste certificate. Thus, we may not have interfered in the order but looking to certain substitution in Para 3, it is set aside. However, with the clarity that while issuing caste certificate in favour of reserve caste candidate named in the Gazette Notification, the State of U.P. would be at liberty to make proper scrutiny of the application so that caste certificate may not be taken fraudulently.

With the aforesaid clarification, the writ petition is allowed.

dharmesh sir g.o

page-1199

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3– भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने स्पष्टीकरण आदेश संख्या–12016/26/2001–टीए(आरएल) दिनांक 15.12.2003 (संलग्नक–3) में यह उल्लेख किया गया है कि "Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Rajgond has been added as synonym to Gond tribe in the districts of Mahajajganj, Sidharthanagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Ajamgarh, Jaunpur, Balia, Gajipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra district and they have not been specified as separate entries in the list of Scheduled Tribes of Uttar Pradesh".

4– अतएव मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार की अधिसूचना अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 (संलग्नक–4) में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–6 पर अंकित गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड, जो 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में सूचीबद्ध है तथा भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–12016/26/2001–टीए(आरएल) दिनांक 15.12.2003 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप जनपद के नायक व ओझा समुदाय के आवेदनकर्ताओं द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत 1356फ0, 1359फ0 को तहसील के मूल रिकार्ड से मिलान किये जाने के पश्चात सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा में उसके कुटुम्ब/परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षिक संस्थाओं/विद्यालय की टी.सी., नजदीकी निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जांच पडताल कर नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5– यदि किसी भी स्तर पर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो शासन द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय समिति (जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत करें, उसे निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–110/2021/2515(1)/26–3–2021–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0, आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0।
2– मण्डलायुक्त, बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल।
3– निदेशक, समाज कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

dharmesh sir g.o

page-1200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।